

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

जवाहर व्यापार भवन, 1 टॉलस्टॉय मार्ग,

नई दिल्ली -110 001

(भारत सरकार का उद्यम)

निविदा आमंत्रण नोटिस

1. एसटीसी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की ओर से (1) एसटीसी/एमएमटीसी आवासीय कॉलोनी, महरौली रोड, नई दिल्ली और (2) एशियाड विलेज काम्प्लैक्स के 8 फ्लैटों में ए और बी ब्लॉकों में सफाई के कार्य हेतु पात्र ठेकेदारों से मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएँ 19.11.10 को अपराह्न 3.00 बजे तक जवाहर व्यापार भवन, 1 टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001 के स्वागत में रखे हुए निविदा बाक्स में जमा की जानी चाहिए।

2. निविदा प्रलेख स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के पक्ष में और नई दिल्ली में देय 1000/- रुपए के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में निविदा प्रलेखों की अप्रतिदेय लागत के रूप में भुगतान करते हुए उप मुख्य अभियन्ता के कार्यालय (सी) 20वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी ऑफ इण्डिया लि0, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली दिनांक 28.10.10 से दिनांक 18.11.10 तक किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं।

किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए निविदाकर्ता एसटीसी से टेलीफोन नं. 23462116 पर सम्पर्क करें। एसटीसी को किसी भी या सभी निविदाओं का स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड:नई दिल्ली

निविदा

विषय - (I) एसटीसी/एमएमटीसी आवासीय कालोनी महरौली रोड, नई दिल्ली और (II) एशियाड विलेज कॉम्प्लैक्स के फ्लैटों में ए एवं बी ब्लॉक में 8 फ्लैटों में सफाई कार्य की संविदा प्रदान करने हेतु निविदा

1. एसटीसी निम्नलिखित कार्य हेतु ईपीएफ, ईएसआई और सेवाकर प्राधिकरण के पास पंजीकृत ठेकेदारों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है -
 - I. एसटीसी/एमएमटीसी आवासीय कालोनी महरौली रोड, नई दिल्ली में सफाई कार्य और
 - II. एशियाड विलेज कॉम्प्लैक्स के फ्लैटों में ए एवं बी ब्लॉक में 8 फ्लैटों में सफाई कार्य इस कार्य हेतु नियुक्त किये गए कामगारों से इन फ्लैटों के निवासियों/स्थानीय प्रभारी द्वारा कार्य के घंटों के दौरान सुपुर्द किये गए कार्य के अलावा इन 8 फ्लैटों और आगे की सड़कों में सफाई का कार्य करने की अपेक्षा की जाएगी ।

उद्धरित दरों में सेवाकर शामिल नहीं होंगे तथा इनकी प्रतिपूर्ति इनके जमा किये जाने के प्रमाण प्रस्तुत करने पर की जाएगी । दरों में ईपीएफ और ईएसआई के लिए सांविधिक अंशदान उपकरणों की लागत और सेवाएँ प्रदान करने तथा अन्य सफाई की सामग्री हेतु प्रयुक्त माल की लागत शामिल होगी । उद्धरित दरों में आपका सेवाप्रभार शामिल होगा । कुल उद्धरित राशि का ब्यौरा निम्नलिखित रूप में दिया जाना चाहिए -

उद्धरित कुल राशि का ब्यौरा

- क) 13 कामगारों + एक पर्यवेक्षक हेतु प्रतिमाह के अनुसार रुपए
न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआई, बोनस सहित न्यूनतम कार्यदल पर कुल खर्च
- ख) सामग्री की लागत (प्रतिमाह एकमुश्त) और सेवाप्रभार (प्रतिमाह एकमुश्त) रुपए
- योग _____
- _____
- (रुपए -----)

(कुल राशि शब्दों और अंकों दोनों में दी जानी चाहिए । इस संदर्भ में कोई असंगति पाए जाने पर शब्दों में दी गयी राशि मानी जाएगी । किसी भी परिवर्तन/ऊपरी लिखाई की अनुमति नहीं है ।)

इस संविदा के अधीन देय सेवाकर संबद्ध सांविधिक प्राधिकरण के पास जमा का साक्ष्य देने वाले मूल चालान को भेजने पर ठेकेदार को अदा किया जाएगा ।

ठेकेदार एसटीसी के कार्यस्थलों पर तैनात किए गए कामगारों हेतु प्रत्येक माह हमारे रिकार्ड हेतु पीएफ, ईएसआई अंशदानों के भुगतान हेतु प्राधिकरणों को किये गये भुगतान के चालानों की प्रतियाँ जमा करेगा और सत्यापन हेतु मूल को दर्शायेगा । ठेकेदार यह सत्यापित करने के लिए बैंक विवरणिका की एक प्रति भी प्रस्तुत करेगा कि क्या आरपीएफसी और ईएसआईसी के भुगतान उनके बैंक खातों में सही प्रकार से डेबिट किए गए हैं ।

- कृपया यह भी नोट करें कि संविदा के जारी रहने के दौरान सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोग किये जाने वाले उपभोग्य, उपकरणों की लागत में वृद्धि के फलस्वरूप एसटीसी द्वारा किसी वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- सेवा प्रभार में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी, जो वही रहेगी जैसे कि संविदा के जारी रहने के दौरान निविदा में उद्धृत है ।
- तथापि किसी भी सरकारी एजेंसी/विधिक प्राधिकरण द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी/डीए में किसी प्रकार की घोषित की गई वृद्धि की प्रतिपूर्ति सेवा उपलब्ध कराने वाले 1 पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) और 13 कामगारों हेतु ही प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

2. विस्तृत शर्तें एवं नियम, योग्यता, अनुभव आदि निम्नलिखित हैं -

क) योग्यता

ठेकेदार के पास निम्नलिखित पंजीकरण होने चाहिए:

- क) ईपीएफ पंजीकरण
- ख) ईएसआई पंजीकरण
- ग) सेवा कर पंजीकरण
- घ) पेन नम्बर

ख) अनुभव

ठेकेदार को आवासीय कालोनियों/ बड़ी आवासीय कालोनी आदि में स्वीपिंग और क्लीनिंग सेवाओं को प्रदान करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

3. कार्यक्षेत्र

एसटीसी के उपर्युक्त आवासीय कालोनी में 6 ब्लॉक हैं जिनमें 141 फ्लैट हैं । कालोनी में स्वीपिंग / क्लीनिंग कार्य में निम्नलिखित शामिल होगा -

- (i) प्रत्येक ब्लॉक की सड़कों, गैलरियों की स्वीपिंग
- (ii) रेलिंग सहित सीढ़ियों की स्वीपिंग / क्लीनिंग

- (iii) "सी" ब्लॉक के पीछे और एसटीसी की ओर के मुख्य मार्ग पर मुख्य स्टॉर्म वाटर ड्रेन सहित ड्रेनस की क्लीनिंग, पृथक स्थानों से कूड़ा हटाना ।
- (iv) ब्लॉक्स और इन्हें मुख्य कूड़ेदान में डालना और मैकेनिकल परिवहन द्वारा मुख्य कूड़ेदान से हटाना ।
- (v) सन - शेड्स की क्लीनिंग ।
- (vi) छतों और दीवारों से अवांछित पौधों और अपतृण आदि को हटाना ।
- (vii) सड़कों और नाले के साथ तथा कॉलोनी के अंदर आवधिक रूप से घास की कटाई और इसे कालोनी के बाहर ले जाना ।
- (viii) मच्छर पैदा होने से रोकने हेतु कीटनाशकों का छिड़काव ।
- (ix) वर्षा के पश्चात और मानसून के दौरान भर जाने वाले पानी को हटाना ।
- (x) एसटीसी की डौरमेटरी, डाक्टर का क्लीनिक, निवासियों का कल्याण एसोसिएशन का कार्यालय आदि के रूप में प्रयुक्त फ्लैटों की दैनिक क्लीनिंग एवं स्वीपिंग ।
- (xi) स्थानीय कार्यालयों और स्टोर की दैनिक क्लीनिंग एवं स्वीपिंग ।
- (xii) सामान्य क्षेत्रों से गोबर को हटाना ।
- (xiii) ब्लॉकों के गुली चैम्बर्स तक सीवर ड्रेन्स की सफाई ।

4. स्वीपिंग और क्लीनिंग कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा:-

1. दैनिक आधार पर स्वीपिंग/क्लीनिंग

- क) प्रत्येक ब्लॉक की गलियों, सड़कों, गैलरियों और आसपास के क्षेत्र की स्वीपिंग ।
- ख) प्रत्येक ब्लॉक की रैलिंग की सफाई सहित सीढ़ियों की स्वीपिंग ।
- ग) पृथक ब्लॉकों और सी एवं डी ब्लॉकों तथा डी-1, डी - II एवं डी - III ब्लॉकों के स्टिल्ट तलों से कूड़ा-करकट उठाना और इन्हें मुख्य कूड़ेदान में डालना तथा मैकेनिकल परिवहन द्वारा मुख्य कूड़ेदान से कूड़ा हटाना ।
- घ) डी ब्लॉक में सभी लिफ्ट कारों/डी ब्लॉक के प्रत्येक तल पर कूड़ेदान की स्वीपिंग एवं क्लीनिंग जिसके माध्यम से कूड़ा मुख्य कूड़ेदान में डाला जाता है ।
- ड) खाली किए गए फ्लैटों, स्थानीय कार्यालयों, स्टोर, निवासी कल्याण एसोसिएशन कार्यालय किसी अन्य फ्लैट की पानी और डिटरजेंट से स्वीपिंग एवं क्लीनिंग ।

II. साप्ताहिक आधार पर स्वीपिंग/क्लीनिंग

- क) सभी प्रकार के ड्रेन्स, नालों आदि की सफाई और अवशिष्ट पदार्थों के कूड़े को मुख्य कूड़ेदान में डालना ।
- ख) मुख्य कूड़ेदान की स्वीपिंग ।

III. पखवाड़ा आधार पर स्वीपिंग/क्लीनिंग

- क) सभी 6 ब्लॉकों में पानी से गैलरियों / कॉरीडोर, सीढ़ियों आदि की स्वीपिंग एवं क्लीनिंग
- ख) गीले कपड़े से सीढ़ियों की खिड़कियों के शीशों की सफाई ।
- ग) मच्छरों के फैलाव से रोकने हेतु कीटनाशकों का छिड़काव ।

iv . तिमाही आधार पर:

- क) सन-शेड्स की सफाई
- ख) सामान्य क्षेत्रों से गोबर को हटाना

v . सामान्य

- क) आवश्यकता के अनुसार लगभग 202 मेनहॉल्स की सफाई और इसके पश्चात तुरंत कालोनी से अवशिष्ट गन्दगी / कूड़े को ले जाना ।
- ख) जब भी आवश्यक हो, छतों और दीवारों से अवांछित पौधों को हटाना ।
- ग) जब भी आवश्यक हो सड़कों, नालों/ड्रेन्स के साथ-साथ और अंदर कालोनी में घास की कटाई तथा इसे कालोनी के बाहर ले जाना ।
- घ) जब भी वर्षा के पश्चात या किसी अन्य कारण से कालोनी में जल भराव होता है, उसे हटाना ।

5. जनशक्ति

ठेकेदार से निम्नलिखित कामगारों को रखने की अपेक्षा की जाएगी:-

- i) एसटीसी आवासीय कालोनी के स्वीपिंग एवं क्लीनिंग कार्य को उपलब्ध कराने एवं निरीक्षण कार्य हेतु न्यूनतम रूप से 10 (दस) कामगार और 1 पूर्णकालिक पर्यवेक्षक जो सभी कार्यदिवसों पर उच्चस्तर के सफाई और रखरखाव कार्य को सुनिश्चित करेगा । इन सभी

10 कामगारों और पर्यवेक्षक से एसटीसी आवासीय कालोनी के स्थानीय प्रभारी के पास रखे गए रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ii) एशियाड विलेज फ्लैटों हेतु ठेकेदार से न्यूनतम रूप से 3 (तीन) कामगारों को रखने की अपेक्षा की जाएगी जिन्हें भी उपर्युक्त रजिस्टर में अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी ।

ख) एसटीसी आवासीय कालोनी में सफाई कार्य हेतु नियुक्त किए गए कामगारों के संबंध में बृहस्पतिवार छुट्टी का दिन माना जाएगा जबकि एशियन गेम्स विलेज काम्प्लेक्स फ्लैटों में सफाई कार्य हेतु कोई छुट्टी नहीं होगी । इस दृष्टि से राहत हेतु एसटीसी आवासीय कालोनी में रविवार को केवल 7 कामगार ड्यूटी पर होंगे, केवल 10 कामगार + 1 पर्यवेक्षक रविवार को कार्य करेंगे और केवल 3 कामगार (एशियाड विलेज काम्प्लेक्स से) बृहस्पतिवार को कार्य करेंगे । पर्यवेक्षक हेतु बृहस्पतिवार का दिन छुट्टी का दिन होगा ।

6. सफाई सामग्री

- एसटीसी आवासीय कालोनी या एशियाड विलेज फ्लैटों में क्लीनिंग और स्वीपिंग कार्य करने हेतु कीटनाशक, झाड़ू, डस्टर, पोंछे आदि के रूप में कोई भी सफाई की सामग्री एसटीसी द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जाएगी ।
- इन सफाई सामग्रियों की लागत निविदा प्रस्तुत करते समय प्रभारित मासिक दरों में शामिल की जानी चाहिए । इन सामग्रियों को उपलब्ध कराने हेतु कोई भी अतिरिक्त प्रभार एसटीसी द्वारा नहीं दिया जाएगा ।

7. ठेकेदार के स्टाफ का व्यवहार और अनुशासन

- क) ठेकेदार नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों के चरित्र और जीवनवृत्त का सत्यापन करेगा वह कालोनी में उनके द्वारा कार्य की अनुमति दिए जाने से पहले उनके नाम, वर्तमान और स्थायी आवासीय पते प्रस्तुत करेगा ।
- ख) ठेकेदार अपने सभी कर्मचारियों को उनके नाम वाले पहचान पत्रक जारी करेगा जिसे वे ड्यूटी पर होने के समय अपने साथ ले जाएंगे ।
- ग) ठेकेदार के कार्मिक विनम्र, शिष्ट, अच्छे व्यवहार करने वाले होंगे जो स्थानीय निवासियों से टिप्स वगैरह की मांग करने/स्वीकार करने से बचेंगे । यदि इस संबंध में निवासियों से उनके विरुद्ध कोई रिपोर्ट पायी जाती है तो उन्हें परिसर से हटा दिया जाएगा और कालोनी में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

8. ठेकेदार द्वारा कार्य के संबंध में उसके द्वारा रखे गए कामगारों को दिल्ली सरकार की अद्यतन गजट अधिसूचना में उल्लेखित से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी ।
9. यदि संविदा अवधि के जारी रहने के दौरान किसी नए कानून के लागू होने या किसी विधिक नियम या आदेश के फलस्वरूप अथवा दिल्ली प्रशासन या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा घोषित की गयी वृद्धि के फलस्वरूप और इसके प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव से मजदूरी की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार की वृद्धि निविदा प्रस्तुत होने के पश्चात लागू होती है तो एसटीसी इस संबंध में ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ता के अंशदान के हिस्से की राशि में परिणामी वृद्धि सहित किसी भी उपर्युक्त एजेंसी द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार इस प्रकार की वृद्धि की प्रतिपूर्ति करेगा । किसी भी अन्य कारण से किसी भी वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

10 सामान्य

- क) ठेकेदार किसी भी मामले में सेवा प्रदान करने हेतु केयर टेकर को लीज़/स्थानांतरण / सबलेट, नियुक्त नहीं करेगा । यदि ठेकेदार ऐसा करता है तो संविदा बगैर किसी नोटिस के समाप्त कर दी जाएगी तथा सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी ।
- ख) ठेकेदार दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, विधिक स्थापना अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन एवं समापन) अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कामगार मुआवजा अधिनियम और लागू सभी अन्य नियमों और नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करेगा और एसटीसी को उक्त अधिनियम/विनियम के अधीन किसी भी दायित्व की पूर्ति में ठेकेदार के असमर्थ होने के कारण भूलचूक, गलती, उल्लंघन और/या किसी भी दावे, मांग, हानि, क्षति और खर्चों के संदर्भ में क्षतिपूर्ति का वचन देगा ।
- ग) उपर्युक्त अधिनियमों और/या ऊपर उल्लिखित किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के फलस्वरूप इनके श्रमिकों के संबंध में एसटीसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
- घ) ठेकेदार से इसके द्वारा नियुक्त किए गए कार्मिकों पर लागू कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने की अपेक्षा की जाएगी । ठेकेदार से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह कटौती किए जाने वाले और सरकारी खाते में मासिक रूप से अदा किए जाने वाले पीएफ और एसआई का निर्धारित पद्धति के अनुसार उपयुक्त रिकार्ड रखें और इसे अनुवर्ती माह के प्रथम सप्ताह में चालानों और कार्मिकों के सही प्रकार से उपस्थिति रजिस्टर के साथ मिलान किए गए विवरण के साथ पीएफ प्राधिकरण के पास जमा की गयी राशि की प्रतिपूर्ति हेतु एसटीसी के समक्ष प्रस्तुत करें ।

- ड) केवल उन पार्टियों की निविदाएँ स्वीकार की जाएंगी जिनके पास एसआई प्राधिकरणों के अपेक्षित पीएफ, कोड नं./पंजीकरण और ऊपर उल्लेखित अन्य पंजीकरण हों जिनमें से प्रत्येक की एक प्रति निविदा के साथ संलग्न की जाए ।
- च) ठेकेदार के कामगारों की मजदूरी दरें, छुट्टियाँ, कार्य करने के घंटे और सेवाशर्तें ठेकेदार द्वारा निश्चित की जाएंगी जो **श्रम** आयुक्त या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस ओर से उल्लेखित या अन्य लागू **श्रम** कानूनों में प्रदत्त के अनुसार मजदूरी, दरों, छुट्टियाँ, कार्य के घंटे और सेवा की शर्तों की तुलना में ठेकेदार के कार्मिकों के अहित में नहीं होंगी ।
- ज) यदि ठेकेदार के कामगारों के लाभ हेतु अपेक्षित कोई विधिक सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अपेक्षित राशि इस संविदा के अधीन ठेकेदार को दिए किसी भी राशि से एसटीसी द्वारा वसूल कर ली जाएगी ।
- झ) ठेकेदार इस संविदा की शर्तों और नियमों के अनुपालन हेतु जिम्मेदार होगा अन्यथा ठेकेदार के बकायों और सुरक्षा जमा की राशियाँ जब्त कर ली जाएंगी तथा संविदा को समाप्त कर दिया जाएगा और संबंधित कार्य ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किसी बाहरी एजेंसी से करवा लिया जाएगा ।
- ण) ठेकेदार उसके और उसके कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी भी/सभी विवादों हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होगा तथा वह इस संदर्भ में उठने वाली सभी हानियों, दावों और क्षतियों के लिए एसटीसी को क्षतिपूर्ति का वचन देगा ।
- ट) ठेकेदार समय-समय पर एसटीसी के स्थानीय प्रभारी द्वारा उसे लिखित या मौखिक रूप से दिए जाने वाले सभी निर्देशों का पालन करेगा ।
- ठ) ठेकेदार स्थानीय प्रभारी या एसटीसी के किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति की सभी शिकायतों की सुनवाई करेगा और शिकायत/सुझाव पुस्तिका के रूप में इनका रिकार्ड रखेगा ।
- ड) एसटीसी ठेकेदार के पर्यवेक्षक और उसकी सामग्री के भंडारण हेतु कार्यस्थल पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराएगा ।
- ढ) एसटीसी नजदीक के डम्प यार्ड में कूड़े को डालने हेतु कोई ठेला गाड़ी उपलब्ध नहीं कराएगा । ठेकेदार द्वारा एसटीसी के प्रति किसी भी प्रकार की अतिरिक्त लागत के बिना कूड़े को ले जाने के लिए ठेकेदार द्वारा न्यूनतम रूप से 4 ठेला गाड़ी उपलब्ध करायी जाएगी ।
- न) यदि यह पाया जाता है कि सफाई कार्य संतोषजनक रूप से नहीं किया जा रहा है तो उस दिन के लिए संविदाकृत राशि की आनुपातिक कटौती के अतिरिक्त रूपए 500 प्रतिदिन के

अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा । आगे यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अपेक्षित के स्थान पर कम संख्या में कामगारों को नियुक्त कर रहा है तो रूपए 500 प्रतिदिन की दर से प्रति अनुपस्थित कामगार के अनुसार एक जुर्माना लगाया जाएगा ।

- त) इस संविदा के अधीन ठेकेदार को देय भुगतान एसटीसी द्वारा एसटीसी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ठेकेदार द्वारा इसके कामगारों को मजदूरी की प्रतिपूर्ति के पश्चात मासिक आधार पर जारी किए जाएंगे ।
- थ) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी कि एसटीसी के प्राधिकृत प्रतिनिधि / स्थानीय प्रभारी की उपस्थिति में इसके कामगारों को मजदूरी और अन्य भुगतान जारी किए जाएं । ठेकेदार से अपेक्षा की जाएगी कि वह उस तारीख तक एसटीसी द्वारा उसके मासिक भुगतान को जारी किए जाने से असम्बद्ध अपने कामगारों को प्रत्येक माह के 7 तारीख तक भुगतान जारी कर दें और बैंक द्वारा सही प्रकार से स्वीकृत चालानों की फोटो प्रतियाँ एसटीसी को प्रस्तुत कर दें । ठेकेदार को भुगतान इन प्रलेखों की प्राप्ति के पश्चात ही किया जाएगा । किसी प्रकार के विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- द) ठेकेदार संविदा श्रम आयुक्त के पास कार्य प्रदान किए जाने के 15 दिनों के अंदर संविदा को दर्ज करवायेगा ।

11 धरोहर राशि जमा

निविदाकर्ता को अपनी निविदा सहित रूपए 30000/- की धरोहर राशि जमा जो ब्याज मुक्त होगी, डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के माध्यम से एसटीसी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के पक्ष में जमा करनी होगी । असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि जमा संविदा को अंतिम रूप देने के पश्चात वापिस कर दी जाएगी ।

12. सुरक्षा जमा

सफल निविदाकर्ता को एसटीसी द्वारा स्वीकार की गयी वार्षिक निविदा के 10 प्रतिशत की दर से परिगणन की गयी एक ब्याजमुक्त सुरक्षा जमा देनी होगी जो संविदा प्रारंभ होने से पहले डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में जमा की जाएगी जो एसटीसी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के पक्ष में होगा । आवश्यक सुरक्षा जमा की प्राप्ति के पश्चात रूपए 30000/- की धरोहर राशि सफल निविदाकर्ता को वापिस कर दी जाएगी । सुरक्षा जमा संविदा के समाप्त होने के 3 महीने पश्चात और बकायों के समायोजन के पश्चात यदि कोई हो, स्थानीय प्रभारी की सिफारिश पर वापसी की जाएगी जो संविदा के सफलतापूर्वक पूर्ण होने का सत्यापन करेगा ।

13. वैधता

इस संविदा की वैधता संविदा प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक होगी जिसे एसटीसी के स्व-विवेक पर ठेकेदार द्वारा संविदा के अधीन दायित्वों के संतोषजनक निष्पादन

के अधीन उन्हीं दरों, शर्तों और नियमों पर अगले वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ।
तथापि, यदि कार्यनिष्पादन संविदा अवधि के दौरान संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो
संविदा लिखित में 15 दिनों का नोटिस देते हुए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

14. मोहरबंद निविदाएँ श्री एस.सी.दास, उप मुख्य अभियन्ता (सिविल) एसटीसी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को संबोधित करते हुए जिस पर "एसटीसी आवासीय कालोनी की स्वीपिंग एवं क्लीनिंग हेतु निविदा" लिखा हो जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली में स्वागत कक्ष पर रखे हुए निविदा बॉक्स में 19.11.2010 को अपराह्न 3.00 बजे तक जमा कर दी जानी चाहिए । धरोहर राशि जमा के बगैर प्राप्त की गयी निविदाएँ पूर्णतया अस्वीकार कर दी जाएंगी । निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे ठेकेदार या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो उपस्थित रहने की इच्छुक हों, खोली जाएंगी ।
15. निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे कार्य हेतु निविदा करने से पहले कार्य के स्थान की जाँच कर ले और कार्य के स्थान की स्थितियों से परिचित हो लें । निविदा को स्वीकारने के पश्चात बाद की तारीख में किसी गलत निर्णय हेतु कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
16. एसटीसी को बगैर कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है ।
17. ठेकेदार से अपेक्षा की जाएगी कि वह दिए गए प्रपत्र के अनुसार (एसटीसी द्वारा दिये जाने वाला) उपयुक्त मूल्य के असांविधिक स्टाम्प पेपर पर स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ करार करेगा । स्टॉम्प पेपर की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी ।
18. ईसीएस भुगतान हेतु ठेकेदार बैंक को अपने लेखे का विवरण देगा ।

(एस.सी.दास)
उप मुख्य अभियन्ता(सिविल)

प्रति -----

ठेकेदार के हस्ताक्षर

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED
JAWAHAR VYAPAR BHAWAN, TOLSTOY MARG, NEW DELHI
(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISES)

NOTICE INVITING TENDERS

- 1** Sealed tenders are invited on behalf of STC of India Ltd. from eligible contractors for the work of sweeping & cleaning in (i) STC/MMTC Housing Colony, Mehrauli Road, New Delhi, and (ii) Eight Nos. Asiad Village Complex Flats in 'A' & 'B' Block. The tender should be dropped in the Tender Box kept at the Reception of Jawahar Vyapar Bhawan , (Tolstoy Marg) , New Delhi-110 001, upto **3.00 P.M on 19.11.2010**
- 2.** Tender documents. can be obtained from the office of Dy. Chief Engineer (C), 20th floor, Jawahar Vyapar Bhawan, STC of India Limited, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 during working hours from **28.10.2010 to 18.11.2010** on all working day between 10 00A.M. and 4.00 P.M. on payment of a non-refundable cost of Tender Documents of **Rs.1000/-** in the form of a Demand Draft/banker's cheque in favour of THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD, PAYABLE AT NEWDELHI.

For any clarifications/further information the tenderers may contact STC (Tel No. 23462116). STC reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning any reason.

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED: NEW DELHI

क्रकड

SUBJECT: Tender for Award of Contract of sweeping & cleaning in (i) STC/MMTC Housing Colony, Mehrauli Road, New Delhi, and (ii) Eight Nos. Asiad Village Complex Flats in 'A' & 'B' Block.

1. STC invites sealed Tenders from contractors registered with E.P.F., ESI and Service Tax authorities for the following works:-
 - i) Sweeping & cleaning of STC side of STC/MMTC Housing Colony, Mahrauli Road, New Delhi; and
 - ii) Outside sweeping & cleaning of eight number Asiad Village Complex flats and in A&B Blocks, front roads and any work assigned by the Site Incharge during working hours.

Rates quoted should exclude Service Tax, and the same shall be reimbursed on production of proof of deposit thereof. The rates must be inclusive of statutory contribution towards EPF and ESI, cost of equipment, cost of materials to be used for providing services and other sanitary materials etc. The rates quoted shall also include your service charges. Breakup of total quoted amount must be given as under: -

ढकएरुड ढ ढरुएरु ँगुडरु डरुडरु

- | | | |
|----|--|-----|
| a) | Total expenses on minimum workforce including Minimum Wages, EPF, ESI, Bonus etc. for 13 workers + 1 Supervisor p.m. | Rs. |
| b) | Cost of materials (per month lump sum) and Service charges (per month lump sum) | Rs. |

Total

(Rupees _____)

(Total amount should be both in words and figures. In case of any discrepancy, the amount in words will prevail. No alterations/over writing are permitted).

Service Tax payable under this contract shall be reimbursed to the contractor on furnishing original Challan(s) evidencing deposit with the concerned statutory authorities.

The contractor shall prepare and submit original challan for the workers deployed on STC sites in respect of payment of PF/ESI contributions duly receipted by the concerned authorities for STC record and reference. The contractor shall also submit a copy of Bank Statement to verify as to whether the payment to RPFC and ESIC have been duly debited in their bank account.

- Also please note that no escalation shall be permitted by STC on account of increase in cost of consumables, cost of equipment etc. to be used for the purpose of providing the service during the currency of the contract.
- There will be not be any increase in service charges, which will remain the fixed as quoted in the Tender during the currency of the contract.
- However any increase as announced by any Govt. Agency/statutory authority in minimum wages/increase in D.A. under the Minimum Wages Act shall be reimbursed for only 13 number of workers + 1 Supervisor.

2. Detailed terms & conditions, eligibility experience etc. are as under:

A) ELIGIBILITY

The contractor should have following Registrations:-

- a) E.P.F. Registration
- b) E.S.I. Registration
- c) Service Tax Registration
- d) PAN Number

B) EXPERIENCE

The contractor should have at least 2 years experience in providing sweeping & cleaning services in Housing Colonies/Large Housing Societies etc.

SCOPE OF WORK

3. STC has 6 Blocks in the above Housing Colony consisting of 141 flats. The sweeping/cleaning work in the colony shall comprise of:-
- i. Sweeping of roads, galleries of each Block;
 - ii. Sweeping/cleaning of staircases including railings etc.;
 - iii. Cleaning of drains including main storm water drains behind 'C' Blocks and on STC's side of main road, removal of garbage from the individual Blocks and dumping the same in the Main Dust Bin and removing thereof from the Main Dust Bin by Mechanical Transport;
 - iv. Cleaning of sun-shades;
 - v. Removal of unwanted plants & weeds etc. from terraces and walls;
 - vi. Cutting of grass periodically along the roads and nallah and inside the colony and its removal outside the colony.
 - vii. Spraying of insecticides etc. for preventing breeding of mosquitoes etc.;

- viii. Removal of water accumulations after the rain and during monsoon;
 - x. Daily cleaning & sweeping of vacant flats, Doctor's Clinic, Residents Welfare Association Office etc;
 - xi. Daily cleaning & sweeping of Site Offices and Stores
 - xii. Removal of cobwebs from common areas; and
 - xiii .Cleaning of sewer drains upto gully chambers of individual Blocks.
4. The sweeping and cleaning work shall be done as per the following arrangements:-

I. **SWEEPING/CLEANING ON DAILY BASIS:**

- a) Sweeping of by-lanes, roads, galleries and surrounding areas of each Block;
- b) Sweeping of staircases including cleaning of Railings of each Block.
- c) Removal of garbage from the individual "C" & "D" Blocks and also from the Stilt floor of D-I, D-II & D-III Blocks and dumping the same in the Main Dust Bin and removal thereof from the Main Dust Bin by Mechanical Transport;
- d) Sweeping & cleaning of all lift cars in D-Block and shaft/garbage room on each floor of D-Blocks through which garbage is dumped into Main Dust Bin; and
- e) Sweeping & cleaning of vacant flats, site offices, stores, Residents Welfare Association Offices with water and detergent.

II. **SWEEPING/CLEANING ON WEEKLY BASIS:**

- a) Cleaning of all types of drains, nallah etc. and dumping the resultant garbage in the Main Dust Bin; and
- b) Sweeping of Main Dust Bins.

III. **SWEEPING/CLEANING OF FORTNIGHT BASIS:**

- a) Sweeping & cleaning of galleries/corridors, staircases steps etc. of all the six blocks with water;
- b) Cleaning of window glass panes of staircases with wet cloths; and
- c) Spraying of insecticides etc. for preventing breeding of mosquitoes.

IV. **ON QUARTERLY BASIS:**

- a) Cleaning of sun-shades; and
- b) Removal of cobwebs from common areas.

V. **GENERAL:**

- a) Cleaning of about 202 manholes as and when required and carrying away the resultant dirt/garbage from the colony expeditiously thereafter;
- b) Removal of unwanted plants etc. on the terraces and walls as and when necessary;
- c) Cutting of grass along with roads, nallah/drains and inside the colony as and when necessary and its removal outside the colony;
- d) Removal of water accumulations in the colony wherever it occurs after the rains or for whatever other reasons.

5. **MANPOWER:**

The contractor will be required to engage:

- (i) Minimum 10(ten) nos. of workers and a full time supervisor for providing & supervising the work of sweeping & cleaning of STC Housing Colony and shall ensure high standard of cleaning and upkeep on all working days. All these 10 nos. workers and the Supervisor will be required to report to the Site In-charge of STC Housing Colony;
 - (ii) For Asiad Village Flats the contractor will be required to engage minimum 3 (three) nos. of workers, who will also be required to report to the Site In-charge.
- b) Thursday shall be observed as weekly off in respect of workers deployed for the cleaning work in STC Housing Colony whereas there will be no off for the cleaning work in Asian Games Village Complex Flats. To compensate for the same there will be only 7 workers on duty on Sunday for STC Housing Colony, i.e. only 10 workers + 1 Supervisor shall work on Sundays and only 3 workers (for Asiad Village Complex) shall work on Thursday. Thursday shall be the off day for the Supervisor.

6. **CLEANING MATERIALS:**

- No cleaning material including insecticides, brooms, dusters, Pochas etc. will be provided by the STC for carrying out the cleaning and sweeping work of either STC Housing Colony or Asiad Village Flats.
- The cost of these cleaning materials should be included in the monthly rate to be charged while submitting the tender. No extra charges will be paid by STC for providing these materials.

7. **BEHAVIOUR AND DISCIPLINE OF CONTRACTOR'S STAFF:**

- a) The contractor shall verify the character and antecedents of the personnel to be employed. He will submit their names, present and permanent residential addresses before they are allowed to start the work in the colony;
- b) The contractor will issue Identity Cards bearing their names to all his employees, which they will carry while on duty; and
- c) The contractor's personnel shall be polite, courteous, well behaved and shall refrain from demanding/accepting tips etc. from the residents. They shall be removed from the premises and will not be allowed to work in the Colony, if any report is received in this regard from the residents.

8. The contractor shall have to pay to the workers engaged by him in connection with the work, wages not less than what is mentioned in Delhi Govts latest Gazettes notification.

9. If during the currency of contract period, wages of labour increases as a direct result of the coming into force of any fresh law or statutory rule or order or increase in D.A. rates as announced by the Delhi Admn. or any other Govt. agency and such increase become operative after the time of submission of tender, STC will reimburse such increase as per notification issued by any of the above agencies in this regard along with consequent increase in amount of employer's share of contribution towards EPF and ESI. No increase on any other account shall be allowed.

10. **GENERAL**

- a. The contractor shall in no case lease/transfer/sub-contract appoint caretaker for the service. If the contractor does so, the contract shall stand terminated without any notice and Security Deposit stand forfeited.

- b. The contractor shall comply with the provisions of Delhi Shops & Establishment Act, Minimum Wages Act, Statutory Estt. Act, Employees State Insurance Act, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, Industrial Disputes Act, Employees Provident Fund Act, Workman's Compensation Act, and all other rules and regulations as applicable at any time and shall keep STC indemnified from Acts of commission, faults, breaches and/or any claims, demand, loss, injury and expenses due to contractor's failure to fulfill any obligations under the said Acts/enactments.
- c. Any liability arising out of non-complying with the provisions of above acts and/or any other act not mentioned above shall be the responsibility of the contractor.
- d. The contractor shall specifically be required to comply with the provisions of Employees Provident Fund Act, Employees State Insurance Act as applicable to the workers to be deployed by the contractor to do the job. The contractor will be required to maintain proper record of P.F. and ESI deducted and paid monthly to the Govt. A/c. in the prescribed manner and produce the same to STC in the first week of the following month for reimbursement of the amount deposited with P.F. authorities duly supported with challans and details etc. of the workers duly tallied with the Attendance Register in respect of whom deposits have been made.
- e. Tender from only those parties will be accepted who are having the requisite P.F. , Code Number/Registration with ESI authorities and other Registrations as mentioned above, a copy each of which duly attested by a gazetted officer of Central Govt., should be enclosed with the tender.
- f. Wages rates, holidays, hours of work and conditions of service of all the workmen of the contractor shall be determined by the contractor having due regard to those prevailing in similar employments and these shall in no case be disadvantageous to the workmen of the contractor as compared to wages, rates, holidays, hours of work and conditions of service as are provided in any applicable labour laws or as may be specified in this behalf by the Labour Commissioner or any other competent authority.
- g. If any amenity statutorily required to be provided for the benefit of workmen of the contractor is not provided by the contractor, the same will be provided by STC and the amount required in providing the amenity will be recovered by the STC from any amount payable to the contractor under this contract.
- h. The contractor shall be responsible for faithfully complying with the terms & conditions of this contract, failure of which will attract forfeiture of the contractor's dues and security deposit as well as termination of the

contract and getting the work done from any outside agency at the risk and cost of the contractor.

- i. The contractor shall be directly responsible for any/all disputes arising between him and his employees and keep the STC indemnified against all losses, claims and damages arising thereof.
- j. The contractor shall comply with all instructions, verbal or in writing, given to him by the Site Incharge of STC from time to time.
- k. The contractor shall attend to all complaints from the Site Incharge or any other authorized person of STC and shall maintain record of the same in the shape of complaint/suggestion book.
- l. STC will provide proper space for contractor's Supervisor and storage of his materials at site.
- m. STC will not provide any Wheel Barrows for carrying the garbage to the nearest dump yard. Minimum 4 nos. Wheel Barrows shall have to be provided by the contractor for carriage of garbage to the 'Dalao' at no extra cost to STC.
- n. In case, it is found that cleaning job is not being carried out satisfactorily, liquidated damages @ Rs.500/- per day liable to be imposed in addition to proportionate deduction of contracted amount for that day. Further, if it is found that the contractor is deploying lesser number of workers than required, liquidated damages @ Rs.500/- per day per absent workers shall be imposed.
- o. Payment due to the contractor under this contract shall be released by STC on monthly basis after disbursement of salary by the contractor.
- p. The contractor shall open or cause to be opened, Saving Bank Account in any nationalized bank for every worker and the Supervisor and shall remit the monthly emoluments and other dues payable to the workers and supervisor directly to these accounts by the 7th. day of the month and submit photocopies of the challans duly accepted by the banks, to STC. Payment to the contractor shall be released only on receipt of these documents. NO DEVIATIONS SHALL BE PERMITTED.
- q. The contractor shall register the contract within 15 days of award of work with Contract Labour Commissioner.

11. **Earnest Money:**

The tenderers shall have to deposit interest free Earnest Money of Rs.30,000/- through Demand Draft/Pay Order in favour of STC of India Ltd., New Delhi, along with their quotation. The Earnest Money Deposit of unsuccessful bidders shall be refunded after the finalisation of contract.

12. **Security Deposit:**

The successful bidder shall be required to make an interest free Security Deposit calculated at the rate of 10% of the yearly quotation accepted by the STC, in the form of Demand Draft/Pay order in favour of “STC of India Ltd., New Delhi” before the commencement of the contract. After receipt of necessary security deposit, the Earnest Money of Rs.30,000/- will be refunded to the successful bidder. The Security Deposit will be refunded after three months of expiry of the contract and after adjustment of dues, if any, on the recommendation of Site Incharge certifying the successful completion of the contract.

13. **Validity:**

The validity of this contract will be for a period of one year from date of commencement and extendable for another one year at the sole discretion of STC on the same rates, terms & conditions, subject to satisfactory performance of the obligations under the contract by the contractor. If, however, the performance is not found to be satisfactory during the contract period, the contract can be terminated at any time by serving 15 days notice in writing.

14. Sealed quotations addressed to Shri S.C. Dass, Dy. Chief Engineer (Civil), STC of India Ltd., Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi – 110 001, super scribed **‘TENDER FOR SWEEPING & CLEANING OF STC HOUSING COLONY’** should be deposited in Tender Box kept on the Reception of Jawahar Vyapar Bhawan, (Tolstoy Marg side), New Delhi, on 3.00 PM **on-19.11.2010**. No other form of delivery is acceptable and tenders not dropped in the Tender Box shall be summarily rejected. Quotations received without the requisite Earnest Money shall be summarily rejected. Tender shall be opened at 3.30 PM on the same day in the presence of contractors or their representatives who wish to remain present.

15. The tenderers are requested to inspect the site and apprise themselves of the site conditions before quoting for the work. Any plea at a later date for any misjudgment after acceptance of tender shall not be accepted.

16. STC reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reasons thereof.

17. The Contractor shall be required to execute an agreement with the State Trading Corporation of India Ltd. on non-judicial stamp paper of appropriate value as per the proforma (to be given by STC). The cost of the stamp paper will be borne by the contractor.
18. The contractor to give Bank details of his Account for ECS payment.

(S.C. DASS)
DY.CHIEF ENGINEER (CIVIL)

To:

Signature of Contractor